पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 264/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 26.08.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में साइबर अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 25.08.2024 को थाना साइबर क्राइम पुलिस आजमगढ़ द्वारा फर्जी पतों पर बैंक खाता खुलवाकर अन्तर्राज्यीय साइबर ठग गैंग के सहयोग से करीब 02 करोड़ 74 लाख रुपये की साइबर ठगी करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तों के कब्जे से 03 मोबाइल फोन, 05 एटीएम कार्ड व अन्य कागजात बरामद किया गया है।

थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़

फर्जी पतों पर बैंक खाता खुलवाकर अन्तर्राज्यीय साइबर ठग गैंग के सहयोग से करीब 02 करोड़ 74 लाख रुपये की साइबर ठगी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार; 03 मोबाइल फोन, 05 एटीएम कार्ड व अन्य कागजात बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 25.08.2024 को साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद आजमगढ़ को शिकायत प्राप्त हुई की जनपद आजमगढ़ के कुछ व्यक्ति जामतारा झारखण्ड के साइबर अपराधियों के साथ मिलकर फर्जी पते पर फर्जी खाता खुलवाकर फर्जी मोबाइल नंबरों की फिडिगं कराकर साइबर फ्राड का पैसा खाते में मंगवाते हैं तथा पैसों को एटीएम कार्ड से निकालकर कमीशन का 25% रुपया अपने पास रखते है तथा बाकी पैसा जामतारा गैंग के विभिन्न बैंक खाते में भेज देते हैं|

उक्त शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अपराध के अनवारण एवं अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना** के निर्देशानुसार, सहायक पुलिस अधीक्षक अपराध शुभम अग्रवाल के पर्यवेक्षण में तकनीकी संसाधनो का प्रयोग करते हुए साइबर क्राइम टीम आजमगढ़ द्वारा लोकेशन के आधार पर दिनांक 25.08.2024 को प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम विमल प्रकाश राय मय टीम द्वारा चेक पोस्ट तिराहा (रानी की सराय) से अभियुक्त 1-मो0 फैसल पुत्र मो0 सिराजुद्दीन पता गोठावं थाना बरदह जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 30 वर्ष व 2- कुलदीप गौतम पुत्र जंत्री नि0ग्राम नंदनगर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग. 25 वर्ष को समय करीब 15:30 बजे गिरफ्तार किया गया तथा उनके 03 अन्य साथी पुलिस बल को देखकर मौके से फरार हो गये है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 03 मोबाइल फोन, 02 पैनकार्ड, 05 आधार कार्ड, 01 आधार कार्ड की छाया प्रति व भिन्न भिन्न खातों की ट्रांजेक्शन सूची (कुल 29 बैंक खातो से 2,74,14695/- रुपये के ट्राजेक्शन का विवरण अंकित हैं), 05 एटीएम कार्ड, 02 एटीएम किट डाक्यूमेन्ट, 01 ड्राइविंग लाइसेन्स, 01 ई-श्रम कार्ड बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरादमगी के आधार पर साइबर क्राइम थाना रानी की सराय पर मु0अ0सं0- 32/2024 धारा 318(4), 319(2),336(3),338,340(2) BNS व 66C, 66D IT Act पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछ-तांछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि 05 व्यक्ति मिलकर साइबर फ्राड का कार्य करते हैं। उक्त गैंग का लिडर दाऊद व जमीरुद्दीन अंसारी हैं जो जामतारा झारखण्ड का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति जिनको पैसो की आवश्यकता होती है उन्हे पैसों का लालच देकर उनके आधार कार्ड में फर्जी नाम पता व मोबाइल नम्बर फीड कराकर, उसकी मदद से बैंको मे खाते खुलवाये जाते है। खाताधारको को प्रति खाता 03-04 हजार रूपये दिया जाते है तथा उनके एटीएम कार्ड , चेकबुक लेकर फ्राड के रूपयो का लेन देन किया जाता है । दाऊद ने फैसल के साथ मिलकर कुलदीप और मुन्नी लाल के आधार कार्ड में फर्जी मोबाइल नंबर व फर्जी पते की फीडिंग करवा कर फर्जी पते पर कई सिम कार्ड व लगभग 16 खाते खुलवाये है। दाऊद जिसमे साइबर फ्राड के रुपये जामतारा गैंग के साइबर ठगो से मंगवाता हैं। यथा समय दाऊद के बताने पर फैसल, अफसर व दाउद मिलकर कुलदीप व मुन्नीलाल के खातो के एटीएम कार्ड से पैसे निकालकर अपना कमीशन का 25% काटने के बाद शेष पैसा दाऊद व जामतारा गैंग के साइबर ठगो द्वारा बताये गये जामतारा झारखण्ड के विभिन्न बैंक खाते में जमा कर देते हैं। अभियुक्तो ने जामतारा गैंग के साइबर ठगो के सहयोग से देश के विभिन्न राज्यो के आमजन

मानस को काल करके आनलाइन साइबर ठगी किये है। तथा साइबर ठगी से प्राप्त रूपयो को हम लोग आपस में बाट लेते है। अभियुक्तों के पास से बरामद ट्रांजेक्शन सूची से कुल 29 बैंक खातो से लगभग 02 करोड़ 75 लाख का साइबर ठगी का लेन देन होना पाया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- मो0 फैसल पुत्र मो0 सिराजुद्दीन पता गोठावं थाना बरदह जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 30 वर्ष।

2- कुलदीप गौतम पुत्र जंत्री नि0ग्राम नंदनगर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 25 वर्ष।

बरामदगी-

03 मोबाइल फोन, 02 पैनकार्ड, 5 आधार कार्ड, 01आधार कार्ड की छाया प्रति, भिन्न भिन्न खातों की ट्रांजेक्शन सूची (कुल 29 बैंक खातो से 2,74,14695/- रुपये के ट्राजेक्शन का विवरण अंकित हैं), 05 एटीएम कार्ड, 02 एटीएम किट डाक्यूमेन्ट, 01 ड्राइविंग लाइसेन्स, 01 ई-श्रम कार्ड

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 32/2024 धारा 318(4), 319(2),336(3),338,340(2) BNS व 66C, 66D IT Act साइबर क्राइम थाना आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- निरीक्षक विमल प्रकाश राय, उ०नि० अलोक कुमार सिंह, मु0आ0 मनीष सिंह, का० संजय कुमार, का0 सभाजीत मौर्या, का0 महिपाल यादव, का0 एजाज खान, म० का० पुष्पा कुशवाहा - साइबर क्राइम थाना आजमगढ़।